

Press Release

On promulgation of Andaman & Nicobar Value Added Tax Regulation, 2017, the Andaman & Nicobar Value Added Tax Rules, 2020 framed for the implementation of Value Added Tax (VAT) in A & N islands.

Accordingly, the Andaman & Nicobar Administration vide Notification No. 05/2022 dated 05th January, 2022 has designated Assistant Registrar of Cooperative Societies as Value Added Tax Officer (VATO), Inspector of Cooperative Societies as Assistant Value Added Tax Officer (AVATO) and Sub-Inspector of Cooperative Societies as Inspector of VAT respectively to carry out the assessment of VAT, computation and imposition of penalties, computation of interest due or owed, anti-tax evasion etc. under Value Added Tax Regulation, 2017 and the Value Added Tax Rules, 2020 in A & N islands.

All the Bar owners, CSD canteens, POL outlets and all stakeholders are required to comply with VAT regulations, including accurate reporting of sales, timely filing of VAT returns, and payment of taxes as applicable to VAT department (DC office, South Andaman).

Failure to adhere with VAT regulations may result in penalties and legal consequences as stipulated under the VAT Regulation and Rules of A & N Islands.

It is therefore, requested to all stakeholders to familiarize themselves with the VAT requirements and cooperate fully with the designated officials to facilitate smooth implementation of VAT in A & N islands.

Balbir Singh
Value Added Tax Officer (HQ)
RCS Office, VIP Road
Port Blair

प्रेस विज्ञप्ति

अण्डमान तथा निकोबार मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2017 की घोषणा के पर, अंडमान तथा निकोबार मूल्य वर्धित कर नियम, 2020 को अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में मूल्य वर्धित कर (वैट) के कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है।

तदनुसार, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने दिनांक 05 जनवरी, 2022 के अधिसूचना संख्या 05/2022 माध्यम से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2017 और मूल्य वर्धित कर नियम, 2020 के तहत वैट का मूल्यांकन, गणना और जुर्माना लगाना, देय या बकाया ब्याज की गणना, कर-विरोधी चोरी आदि का कार्य करने के लिए क्रमशः सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार को मूल्य वर्धित कर अधिकारी (वीएटीओ), सहकारी समितियों के निरीक्षक को सहायक मूल्य वर्धित कर अधिकारी (एवीएटीओ) और सहकारी समितियों के उप-निरीक्षक को वैट के निरीक्षक के रूप में नामित किया है।

सभी बार मालिकों, सीएसडी कैंटीन, पीओएल आउटलेट्स और सभी हितधारकों को वैट नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें बिक्री की सटीक रिपोर्टिंग, वैट रिटर्न समय पर दाखिल करना और वैट विभाग (उपायुक्त का कार्यालय, दक्षिण अंडमान) में लागू करों का भुगतान शामिल है।

वैट नियमों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के वैट विनियमन और नियमों के तहत निर्धारित दंड और कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे वैट आवश्यकताओं से परिचित हों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में वैट के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा के लिए नामित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करें ।

बलबीर सिंह

मूल्य वर्धित कर अधिकारी (मुख्यालय)

सहकारी समितियों का कार्यालय

वी आई पी रोड, पोर्ट ब्लेयर ।